International Journal of Applied Research 2015; 1(7): 646-648

ISSN Print: 2394-7500
ISSN Online: 2394-5869
Impact Factor: 5.2
IJAR 2015; 1(7): 646-648
www.allresearchjournal.com
Received: 25-04-2015
Accepted: 29-05-2015

मनोरमा
शोधार्थी (एम.फिल्) संस्कृत विभाग,
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली–110007

Correspondence:
मनोरमा
शोधार्थी (एम.फिल्) संस्कृत विभाग,
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली–110007

स्मृतियों की प्रासङ्गिकता (नारी के परिप्रेक्ष्य में)

मनोरमा

हमारी संस्कृति में नारी का स्थान पुरुष से ऊँचा है। यदि सीधे–सीधे कहा जाए तो स्त्री पुरुष से श्रेष्ठ है क्योंकि मनुस्मृतिकार ने 'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः'[1] कहकर नारी को समाज में सर्वोच्च स्थान प्रदान किया है। कहीं वह स्त्री मातृरूप में स्तुत्य है तो कहीं शक्ति रूप में वन्दनीय है– "या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता"[2]

संसार में शक्ति के बिना न तो किसी लौकिक कार्य में सफलता मिलती है, न किसी साधन में सिद्धि। ब्रह्म और शक्ति के संयोग से ही संसार की उत्पत्ति होती है। ब्रह्म अपनी शक्ति महासरस्वती के साथ जुड़कर संसार का सृजन करते हैं, विष्णु, महालक्ष्मी रूपी शक्ति के साथ संसार का संचालन तथा शिव अपनी रौद्र शक्ति दुर्गा के साथ जुड़कर विघ्न–बाधाओं का नाश और संसार का संहार करते हैं।

मनुस्मृतिकार ने यह कहा है कि विधाता के ही 2 रूप– नारी व पुरुष हैं।[3] अतः स्मृतिकाल की नारियों का गौरवगान, वर्तमान (कलियुग) में कितना प्रासङ्गिक है इसी को कुछ बिन्दुओं से स्पष्ट करते हैं जैसे–

1. नारी–रक्षा– स्त्री स्वभाव से ही कोमल होती है अतः वह रक्षणीय है।[4] उसकी मर्यादा की रक्षा के विषय में महर्षि मनु कहते हैं–पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने रक्षन्ति स्थविरे पुत्रा न स्त्री स्वातन्त्र्यमर्हति।

– मनुस्मृति, 9/3

मर्यादा से अरक्षित स्त्रियाँ पितृकुल व पतिकुल दोनों को दुःख देती हैं। अतः सभी अवस्थाओं में स्त्री रक्षणीय है।[5] तथा चारों वर्णों का कर्त्तव्य है कि स्त्रियों की रक्षा करें।[6]

आज नारी स्वाधीन है, पुरुष के समकक्ष है किन्तु सुरक्षित नहीं। प्रतिदिन अनेक महिलाओं के साथ दुराचार होता है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि नारी को सुरक्षा ही प्रदान की जाए, उसका शोषण न हो, उसके व्यक्तिगत स्वातन्त्र्य को कदापि बाधित न किया जाए। क्योंकि आज पत्नी सहधर्मिणी, अर्धाङ्गिनी के साथ–साथ आर्थिक क्षेत्र में पुरुष की सहयोगी भी है। वह घर और बाहर दोनों को सम्भालती है, जो कठिन हो सकता है किन्तु असम्भव नहीं।

2. नारी–सम्मान– मनु एवं याज्ञवल्क्य ने नारी–सम्मान पर विशेष बल देते हुए कहा है कि जहाँ नारी का सम्मान नहीं होता वह घर शीघ्र ही नष्ट हो जाता है।[7] यह बात आज भी चरितार्थ होती है कि पति–पत्नी एक ही रथ के 2 पहिए हैं। इसके अतिरिक्त मनु ने नारी को वस्त्राभूषणों से अलंकृत करने की बात कही है।[8] अलङ्कारादि के द्वारा स्त्रियों को प्रसन्न करने का निर्देश करते हुए मनु कहते हैं–स्त्रियां तु रोचमानायां सर्वं तद्रोचते कुलम्। तस्यां त्वरोचमानायां सर्वमेव न रोचते।।

– मनु. 3/62

वर्तमान में फैशन डिजाइनर, ब्यूटीपार्लर, शृङ्गार–प्रसाधन–सामग्री आदि नारी की शृंगारप्रियता के लिए ही हैं। नारी स्वभाव से ही शृंगारप्रिय होती है तथा उत्सवों में तो विशेष रूप से शृंगार करती है। इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए सौन्दर्य–प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती हैं।

3. नारी–शिक्षा– भृगु स्मृति में विशेष रूप से स्त्रियों की शिक्षा व उनके वेदाध्ययन का उल्लेख हुआ है। बालकों की भांति उनका भी यज्ञोपवीत हो।[9] वह घर स्वच्छ रखे तथा यज्ञादि का कार्य स्वयं करे।[10] मनु ने स्त्रियों के लिए गृहोपयोगी शिक्षा को आवश्यक बताया है जिससे वह जीवन–निर्वाह में समर्थ हो सके।[11]

वर्तमान में सबसे बड़ी विशेषता यह है कि नारी–शिक्षा को प्राथमिक स्तर पर महत्त्व दिया जाने लगा। आज शिक्षा के क्षेत्र में नारी पुरुषों के समान ही नहीं अपितु आगे निकल रही है। शिक्षित होने के कारण ही वह अन्य क्षेत्रों में भी स्वावलम्बी बन रही है। भारतीय संविधान के 15वें अनुच्छेद में नारी को शिक्षा सम्बन्धी सभी अधिकार प्राप्त हैं किन्तु व्यावहारिक दृष्टि से इनका लाभ केवल नगरीय

व शिक्षित नारियों को ही मिल पाया है। ग्रामीण क्षेत्रों में अभी स्थिति परम्परागत ही है। आर्थिक रूप से स्त्रियों की स्थिति सोचनीय है।

4. दायभाग– मनु सामान्य रूप से दायभाग में पुत्री का स्थान निर्धारण नहीं करते किन्तु विवाहादि कार्य सम्पादन के लिए भाइयों को आदेश देते हैं कि–

स्वेभ्यों•शेभ्यस्तु कन्याभ्यः प्रदद्युर्भ्रातरः पृथक्। स्वात्स्वादंशाच्चतुर्भागं पतिताः स्युरदित्सवः।।

– मनु. 9/118

अतः वर्तमान में 1956वें वर्ष में हिन्दूत्तराधिकार अधिनियम में, पैतृकसम्पत्ति पर पुत्री का भी समान अधिकार है, ऐसा निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त स्त्रीधन के विषय में कोई भी विवाद नहीं हैं।[12] सभी धर्मशास्त्रकारों ने उस धन पर स्त्री का प्रभुत्व स्वीकार किया है। वह अपनी इच्छा से उसका व्यय कर सकती है।[13]

5. स्वयंवर अधिकार– स्त्री अपने पति का वरण स्वयं करे ऐसा सभी शास्त्रकारों ने स्वीकार किया है।[14] मनु ने मुख्य रूप से 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया है[15] जिनमें प्राजापत्य–विवाह तथा गान्धर्व (प्रेम–विवाह) का ही अधिक प्रचलन है।[16]

ये ही दोनों विवाह वर्तमान में श्रेष्ठजनों में सर्वाधिक सामाजिक मान्यता प्राप्त हैं। इसके अतिरिक्त राक्षस और पैशाच विवाह प्राचीनकाल में भी निन्दनीय थे तथा वर्तमान में भी हीन दृष्टि से देखे जाते हैं।

जाति/वर्ण व्यवस्था के सन्दर्भ में मनु का कथन है कि पत्नी जिस प्रकार के गुणों से युक्त पति को प्राप्त करती है, वह वैसी ही हो जाती है जैसे– समुद्र से मिलकर नदी। नीचकुल में उत्पन्न अक्षमाला–वशिष्ठ से, आरै सारंगी–मन्दपाल ऋषि से विवाहित होकर पूज्य हो गई।[17] आज शिक्षित परिवारों में धीरे–धीरे इस मत को स्वीकार किया जाने लगा है।

6. गृहलक्ष्मी– मनु का कथन है कि स्त्री घर की लक्ष्मी है। प्रजनन व पालन में दक्ष माता पूजनीय है–

प्रजनार्थं महाभागाः पूजार्हा गृहदीप्तयः। स्त्रियः श्रियश्च गेहेषु न विशेषो•स्ति कश्चन।।

– मनु. 9.26

आज जब घरों में पुत्री उत्पन्न होती है तब यही कहा जाता है कि यहाँ तो लक्ष्मी आई है।

7. विवाह के योग्य कन्या– मनु का मानना है कि जो कन्या माता–पिता के सात पीढ़ी तक की न हो आरै पिता के गोत्र की न हो ऐसी कन्या ही विवाह के योग्य होती है।[18] वर्तमान में यह पूर्णतः प्रासङ्गिक है क्योंकि चिकित्सा–शास्त्रियों के अनुसार आनुवांशिक रोगों का मुख्य कारण आज यही है कि अपने ही कुल की कन्या से जो विवाह कर लिया जाता है तो उस कन्या या वर के वंश में जो भी रोग होता है वह उनकी सन्तानों में पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है।

8. नारी के साथ दुराचार–दण्डनीय– मनु एवं याज्ञवल्क्य स्मृतियों में स्त्रियों के साथ दुराचार करने वालों के लिए कठोर दण्ड की व्यवस्था की गई है।[19] किन्तु यही दुराचार ब्राह्मण करे तो उसके लिए हल्का दण्ड देने का विधान है। किन्तु आज ब्राह्मण का स्थान सामाजिक प्रतिष्ठा वाले व्यक्तियों ने ले लिया है।

तभी तो आज बड़ी पहुँच वाले अधिकारी वर्ग कम दण्डित होते हैं और धनञ्जय जैसे निर्धन अपराधी को फासी लगा दी जाती है। अव्यावहारिक होने पर भी आज यह व्यवस्था प्रासङ्गिक बनी हुई है। सब वर्गों के लिए समान दण्ड की व्यवस्था अति–आवश्यक है।

9. कर में छूट– मनु का मानना है कि गर्भवती स्त्री से कोई भी मार्गशुल्क न लें।[20] मार्गशुल्क में तो नहीं किन्तु आयकर में नारी को विशेष छूट दी जाती है।

10. पत्नि का त्याग–दण्डनीय– मनु ने माता–पिता, स्त्री–पुत्र को त्याग के अयोग्य माना है। यहाँ तक कि मृत्यु के बाद भी दम्पत्ती का विच्छेद नहीं होता[21] ऐसा मनु ने स्वीकार किया है। आज भी पति अपनी पत्नि का त्याग नहीं कर सकता और यदि किसी कारणवश कर भी ले तो जीवन–पर्यन्त 'भरण–पोषण' भत्ता (मेन्टेनेन्स) देना आवश्यक होता है।

11. सुरापान– निषेध– याज्ञवल्क्य के अनुसार जो स्त्री सुरापान करती है वह पतिलोक को प्राप्त नहीं करती।[22] मनु ने भी उस महिला पर दण्ड का विधान किया है। आज सुरापान करने वाली स्त्री के लिए दण्ड तो नहीं किन्तु चिकित्साशास्त्र के अनुसार यह कर्म सन्तान के लिए हानिप्रद कहा गया है।

12. नारी–सामाजिक स्थिति– पाराशर स्मृति का कथन है कि कलियुग में स्त्रियों का महत्त्व बहुत बढ़ गया है क्योंकि स्त्रियों ने पुरुषों पर अपना अधिकार जमा लिया है।[23] बृहत्पाराशर का यह कथन अत्यन्त तथ्यपूर्ण है कि वस्तुतः नारी ही घर है अर्थात् न गृहं गृहमित्याहुः गृहिणी गृहमुच्यते।।

आज सामाजिक परिस्थितियाँ बदलने के कारण स्त्रियों का पहले जैसा सम्मान नहीं रहा अपितु समाज की दृष्टि में अब स्त्री भोग्या बन गई है। जिसके दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। सहशिक्षा तथा सह–विचरण के कारण आज पिता द्वारा पुत्री का बलात्कार, शिक्षक द्वारा छात्रा का, कार्यक्षेत्र में अधिकारी तथा सहकर्मी का अशोभन आचरण आदि अनेक उदाहरण नित्य समाचार–पत्रों में आ रहे हैं। समय बदल गया किन्तु मनुष्यों की जैविक प्रवृत्ति नहीं बदली।

स्पष्ट है कि मनु का कथन अधिकांश रूप में आज भी प्रासङ्गिक ही है किन्तु आज की पीढ़ी स्वतन्त्र जीवनयापन करना चाहती है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इस प्रकार के नीतिवचन 'पोंगापण्डित' के उपदेश से अधिक कुछ नहीं है।

विवाह उपरान्त तलाक अथवा जीवन–साथी को बदलना आज एक सामान्य बात है। आज ऊँचे स्तर पर अथवा अत्याधुनिक युवक–युवतियों के लिए विवाह भी एक पुरातनपन्थी विचार बन गया है। एक नया शब्द समाज में प्रचलित हो रहा है– 'लिव टुगेदर'। बिना विवह के सहवास करना बड़े शहरों में पर्याप्त सामान्य बात बनती जा रही है। आधुनिकता के प्रवाह ने नैतिकता को दूर ढकेल दिया है। परिणाम समक्ष हैं– 'एड्स नामक महामारी' मुँह बाए सामने खड़ी है। आज विवाह से पुर्व अथवा विवाहेतर सम्बन्धों पर खुलकर चर्चा हो रही है, विचारगोष्ठियाँ हो रही हैं और अन्ततः सावधानी बरतने की शिक्षा दी जा रही है।

वास्तविकता तो यह है कि मनु आज भी प्रासङ्गि हैं।

संदर्भ

1. मनुस्मृति – 3.56
2. दुर्गासप्तशती।
3. द्विधा कृत्वा••त्मनो देहमर्धेन पुरुषो•भवत्। अर्धेन नारी तस्यां स विराजमसृजत्प्रभुः।। – मनु. 1/32
4. बृ. पराशरा – 6.58, बोधा. –2.2.61
5. सूक्ष्मेभ्यो•पि प्रसङ्गेभ्यः स्त्रियो रक्ष्या विशेषतः। द्वयोर्हि कुलयोः शोकमावहेयुररक्षिताः। – मनु. 9/115
6. चतुर्णामपि.... सदा। – मनु. 8.359
7. यत्र नार्यस्तु... क्रिया। – मनु. 3.56
8. पितृभिभ्रातृश्चैता– बहुकल्याणमीप्सुभिः। – मनु. 3.55
9. भृगु 3.40–43, 10, 1–15
10. बृ.सं. 480
11. विधाय प्रोषिते वृत्तिं जीवेन्नियममास्थिता प्रोषिते त्वविधायैव जीवेच्छिल्पैरगर्हितैः। – मनु. 9/75
12. अध्यग्न्यावाहनिकं दत्तं च प्रीतिकर्मणि। भ्रातृमातृपितृप्राप्तं षड्विधं स्त्रीधनं स्मृतम्। – मनु. 9/194
13. मनुस्मृति – 9/104, याज्ञ. –2/117
14. मनु. 9/10,याज्ञ. 1/64, वसिष्ठधर्मसूत्र– 17/67–69
15. मनु. 2 अध्याय।
16. 16 बौ.ध.सू. 1, 11, 13 17

17. मनु. 9.22–24
18. असपिण्डा– मैथुने – मनु. 3/5
19. मनु. 8/352, 372–384,याज्ञ. 1/65, 2/287, 288, नारदस्मृति 12/73–75
20. मनु. 8.407
21. अन्योन्यस्याव्यभिचारो भवेदामरणान्तिकः एष धर्मः समासेन ज्ञेयः स्त्रीपुंसयोः।। – मनु. 9/101
22. याज्ञ. 3/256
23. स्त्रीभिश्च पुरुषाः जिताः। – परा. 1.30